

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)

Email ID:: dedoapur @gmail.com

क्रमांक / 17561 / मान्यता-अनुमति / 2026-27 अम्बिकापुर, दिनांक- 07/10/2026
प्रति,

✓ प्राचार्य/प्रबंधक,
अदानी विद्या मंदिर, साल्ही
वि०खं० उदयपुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०)
विषय:- विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक संचालन करने हेतु विभागीय अनुमति प्रदान करने बावत्।
संदर्भ:- (1) आपका पत्र दिनांक 18.05.2026.
(2) नोडल प्राचार्य का चेकलिस्ट अनुसार, अनुशंसा एवं अभिमत सहित प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 10.09.2026.

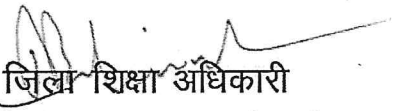
—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में अशासकीय विद्यालय अदानी विद्या मंदिर साल्ही, वि०खं० उदयपुर, जिला-सरगुजा को सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक संचालन हेतु विभागीय अनुमति निम्न शर्तों पर अस्थायी रूप से दी जा रही है :-

1. आपकी संस्था शिक्षा संहिता एवं स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन तथा कार्यालय एवं अन्य वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों एवं नियमों का पालन करेगी।
2. आपकी संस्था समुचित अनुशासन बनाये रखेगी तथा आपको संस्था के छात्र या कर्मचारी किसी भी प्रकार के हड़ताल एवं राज्य विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।
3. आप संस्था के छात्र/छात्राओं हेतु आवश्यक स्थान भवन, उपकरण, पुस्तकालय, क्रीड़ा स्थल एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति करेंगे, साथ ही आप अध्यापन हेतु पर्याप्त मात्रा में अध्यापकों की पूर्ति करेंगे।
4. आप विद्यार्थियों की स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय आदि की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
5. आप जाति, धर्म, भाषा के आधार पर न तो किसी छात्र या कर्मचारी के साथ पक्षपात करेंगे और न ही इस आधार पर छात्रों को प्रवेश व अध्यापकों के नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाएंगे।
6. आप संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति में शासन के रोस्टर एवं आरक्षण का पालन करेंगे तथा सभी कर्मचारियों को छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित वेतन एवं वेतनमान देंगे।
7. किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति या निष्कासन के पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. शासन द्वारा निर्धारित मदों में ही शुल्क लिया जावे एवं छ०ग० अशासकीय विद्यालय शुल्क अधिनियम 2020 का पूर्णतः पालन करेंगे।
9. छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर से सम्बद्धता प्राप्त कर विद्यालय में उ०मा०वि० विद्यालय का संचालन किया जावेगा।
10. आप निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण हेतु शालेय अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सदैव तैयार रहेंगे।

11. विद्यालय केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिये संचालित होगा।
12. विद्यालय समय-समय पर विभाग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट एवं जानकारी उपलब्ध करायेगा।
13. विद्यालय बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा तथा निर्धारित मापदण्डों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
14. **NCERT/SCERT** द्वारा प्रकाशित निःशुल्क पुस्तकें ही पढ़ाई जायेंगी। इनके अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें सभी पालकों की सहमति से एवं जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से लागू की जा सकेंगी।
15. किसी भी स्थिति में पालकों को किसी दुकान विशेष से किताब, कॉपी, स्टेशनरी एवं यूनिफॉर्म क्रय करने को बाध्य नहीं किया जावेगा।
16. आप यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय की पुस्तकें शहर के सभी पुस्तक दुकानों में उपलब्ध रहेंगी।
17. बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की संपूर्ण जवाबदेही विद्यालय प्रबंधन की होगी।
18. विद्यालय परिसर के मुख्य स्थानों जैसे— मुख्य प्रवेश द्वार, निकास द्वार, गलियारे (कॉरिडोर), सीढ़ियां, स्वागत कक्ष (रिसेप्शन) पार्किंग तथा अन्य सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित करें।
19. यदि विद्यालय में स्कूल बस/वाहन उपलब्ध है तो उनमें सीसीटीवी कैमरा, **VLTD** ट्रैकिंग डिवाइस (**GPS**) एवं आपातकालीन पैनिक बटन अनिवार्य रूप से लगायें।

उपरोक्त बिन्दुओं का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित करते हुये आपको कक्षा 9वीं से 12वीं संचालन हेतु विभागीय अनुमति प्रदान की जाती है।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृष्ठा0क्रमांक/17562/मान्यता-अनुमति/2026-27 अम्बिकापुर, दिनांक 07 /10/2026
 प्रतिलिपि,

1. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नया रायपुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला-सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. विकास खंड शिक्षा अधिकारी- उदयपुर, जिला-सरगुजा को सूचनार्थ।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)